लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अति शि./2026-27/618 भोपाल, दिनांक 15-6-2026

//आदेश//

याचिकाकर्ता सुश्री तरन्नुम बानो पिता श्री लाल मियां WP 45330/2025 वार्ड नम्बर 15 किडी, सिल्ली खाना गली सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अतिथि शिक्षक को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। याचिका में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2025 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार हैं :-

Considering the aforesaid innocuous prayer and without expressing any opinion on merit, this writ petition is disposed of with a direction to the respondent No.2, to take a decision on petitioner's representation (Annexure P/4) within a period of 90 days from today, by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

2. उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हैं याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है, कि मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालयों में लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण की मांग लंबित है। योग्यता होने के पश्चात् भी अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा रहा है।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम/निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं :-

3.1 याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला करकचहा डाईसकोड-23160215203 में उपस्थित है।

4. मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवे भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित नियम 01.12.2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान हैं :-

4.1 नियम-8 के उप नियम (5) में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान हैं।

4.2 नियम संशोधन 01.12.2024 के नियम 11 उपनियम 7 ख (चार) में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान हैं :-

"शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 50

प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी। जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस (प्रतिसत्र न्यूनतम 30 दिवस) मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं तदुपरांत चयन परीक्षा से मेरिट क्रम में नियुक्ति का प्रावधान है।

5. उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है, कि अतिथि शिक्षकों को सीधे पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित किये जाने का कोई प्रावधान/नियम नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों के लिये **50** प्रतिशत आरक्षण के आधार पर सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित पदों में से चयन परीक्षा के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में पात्रतानुसार नियुक्त किये जाने का प्रावधान हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत मांग नियमानुसार न होने से अभ्यावेदन में की गई मांग को अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है।

Digitally signed by
ABHISHEK SINGH
Date: 12-06-2026
18:13:24

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/अति शि./2026-27/612 **भोपाल, दिनांक** 25-6-2026

प्रतिलिपिः-

1. - संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ट इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. - संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
3. - संयुक्त संचालक, विधि कक्ष स्थानीय, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. - जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विदशा मध्यप्रदेश।
5. - सुश्री तरन्नुम बानो पिता श्री लाल मियां वार्ड नम्बर 15 किडी, सिल्ली खाना गली सिरोंज जिला विदिशा मध्यप्रदेश।

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश